भाग–III

हरियाणा सरकार

वित्त विभाग

अधिसूचना

दिनांक 23 दिसम्बर, 2025

संख्या सा०का०नि० 18/संवि०/अनु०309/2025.– भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा राज्य लेखा–परीक्षा निदेशालय (ग्रुप ख) सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती तथा सेवा शर्तों को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :–

भाग I सामान्य

संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ।

1. (1) ये नियम हरियाणा राज्य लेखा–परीक्षा निदेशालय (ग्रुप ख) सेवा नियम, **2025** कहे जा सकते हैं।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

परिभाषाएं।

2. इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,––

(क) "प्रशासकीय सचिव'' से अभिप्राय है, अपर मुख्य सचिव या प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, वित्त विभाग, जैसी भी स्थिति हो;

(ख) ''आयोग'' से अभिप्राय है, हरियाणा लोक सेवा आयोग,

(ग) ''सीधी भर्ती'' से अभिप्राय है, कोई भी नियुक्ति, जो सेवा में से पदोन्नति या भारत सरकार या किसी राज्य सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी अधिकारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति से अन्यथा की गई हो ;

(घ) ''परीक्षा'' से अभिप्राय है, ऐसे विनियमों, जो समय–समय पर सरकार द्वारा अधिसूचित किए जाए, के अनुसार इस प्रयोजन के लिए सरकार या सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अभिकरण द्वारा, संचालित हरियाणा राज्य लेखा–परीक्षा सेवा परीक्षा भाग. **I** तथा **II**;

(ड.) ''सरकार'' से अभिप्राय है, प्रशासकीय विभाग में हरियाणा राज्य की सरकार;

(च) ''संस्था'' से अभिप्राय है,–

(i) हरियाणा राज्य में लागू विधि द्वारा स्थापित कोई संस्था; या

(ii) इन नियमों के प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त कोई अन्य संस्था;

(छ) ''संगठन'' से अभिप्राय है, और इसमे शामिल है, हरियाणा सरकार के सभी विभाग, वैधानिक निकाय। इसमें विश्वविद्यालय, बोर्ड, निगम, संघ तथा प्राधिकरण, जो पूर्णतः राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन तथा नियंत्रणाधीन हो, भी शामिल है;

(ज) अनुभव के प्रयोजन के लिए ''विख्यात संगठन'' से अभिप्राय है, किसी राज्य सरकार या भारत सरकार के अधीन कोई संगठन तथा कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का केन्द्रीय अधिनियम 18) के अधीन पंजीकृत गैर–सरकारी संगठन शामिल है जिसका आवर्त कम से कम एक वर्ष के लिए 75 करोड़ रूपये का हो;

(झ) ''मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय'' से अभिप्राय है,–

(क) भारत में विधि द्वारा निगमित कोई विश्वविद्यालय; या

(ख) कोई अन्य विश्वविद्यालय, जो इन नियमों के प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय के रूप में घोषित किया गया हो;

(ञ) ''सेवा'' से अभिप्राय है, हरियाणा राज्य लेखा परीक्षा निदेशालय (ग्रुप ख) सेवा।

भाग II सेवा में भर्ती

पदों की संख्या तथा उनका स्वरूप।

3. सेवा में इन नियमों के परिशिष्ट क में दर्शाए गए पद समाविष्ट होंगेः

परन्तु इन नियमों की कोई भी बात ऐसे पदों की संख्या में वृद्धि या कमी करने या विभिन्न पदनामों और वेतनमान वाले नए नियमित पद बनाने के सरकार के अन्तर्निहित अधिकार पर प्रभाव नहीं डालेगी।

सेवा में भर्ती किए गए उम्मीदवारों की राष्ट्रीयता, अधिवास तथा चरित्र।

4. (1) कोई भी व्यक्ति, सेवा में किसी पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा, जब तक वह निम्नलिखित न हो, –

(क) भारत का नागरिक; या

(ख) नेपाल की प्रजा; या

(ग) भूटान की प्रजा;

परन्तु प्रवर्ग (ख) या (ग) से संबंधित किसी प्रवर्ग का व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति होगा जिसके पक्ष में सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण–पत्र जारी किया गया हो।

(2) कोई भी व्यक्ति, जिसकी दशा में पात्रता का प्रमाण–पत्र आवश्यक हो, उसे आयोग या किसी अन्य भर्ती प्राधिकरण द्वारा संचालित परीक्षा या साक्षात्कार के लिए प्रविष्ट किया जा सकता है, किन्तु नियुक्ति का प्रस्ताव केवल उसे सरकार द्वारा पात्रता का आवश्यक प्रमाण–पत्र जारी किए जाने के बाद दिया जाएगा।

(3) किसी भी व्यक्ति को सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती द्वारा तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा, जब तक वह अपने अन्तिम उपस्थिति के विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय या संस्था, यदि कोई हो, के प्रधान शैक्षणिक अधिकारी से चरित्र प्रमाण–पत्र और दो ऐसे अन्य जिम्मेवार व्यक्तियों से, जो उसके संबंधी न हों, किन्तु उसके व्यक्तिगत जीवन में उससे भली–भांति परिचित हों, और जो उसके विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय या संस्था से संबंधित न हो, उसी प्रकार के प्रमाण–पत्र प्रस्तुत न करे।

आयु।

5. कोई भी व्यक्ति सेवा में किसी भी पद पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त नहीं किया जाएगा, जो आयोग या किसी अन्य भर्ती प्राधिकरण को आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि को अठारह वर्ष की आयु से कम या बयालीस वर्ष की आयु से अधिक का हो।

नियुक्ति प्राधिकारी।

6. सेवा में पदों पर नियुक्ति सरकार द्वारा की जाएगी।

योग्यताएं तथा अनुभव।

7. (1) किसी भी व्यक्ति को सेवा में किसी भी पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक वह सीधी भर्ती की दशा में, इन नियमों के परिशिष्ट ख के खाना 3 में विनिर्दिष्ट तथा सीधी भर्ती से अन्यथा नियुक्ति की दशा में पूर्वोक्त परिशिष्ट के खाना 4 में विनिर्दिष्ट योग्यताएं तथा अनुभव न रखता हो:

परन्तु सीधी भर्ती की दशा में अनुभव संबंधी योग्यताओं में आयोग या किसी अन्य भर्ती प्राधिकरण के विवेक पर अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों तथा शारीरिक रूप से दिव्यांग प्रवर्ग से संबंधित अपेक्षित अनुभव रखने वाले उम्मीदवारों की पर्याप्त संख्या उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए उपलब्ध न हो, तो पचास प्रतिशत की सीमा तक ढील दी जा सकेगी, ऐसा करने के लिए लिखित में कारण दिए जाएंगे:

परन्तु सीधी भर्ती द्वारा सेवा में नियुक्त कोई व्यक्ति जो,–

(i) दो प्रयासों में भाग– I की परीक्षाः तथा

(ii) दो प्रयासों में भाग – II की परीक्षा,

उत्तीर्ण करने में असफल रहता है, तो उसकी सेवाएं समाप्त कर दी जाएंगी। विभागीय परीक्षा के किसी भाग की परीक्षा में बैठने का कोई अतिरिक्त प्रयास अनुज्ञात नहीं होगाः

परन्तु यह और कि यदि कोई कर्मचारी किसी भी परिस्थिति, जो उसके नियन्त्रण से परे है, के कारण परीक्षा में उपस्थित होने में असफल रहता है, तो प्रशासकीय सचिव, अपने विवेक पर, अनुकम्पा आधार पर एक अतिरिक्त प्रयास की अनुमति दे सकता है।

व्याख्या.– ''दो प्रयासों'' से अभिप्राय है, संबंधित कर्मचारी की नियुक्ति की तिथि से तीन मास के उपरान्त सरकार/अभिकरण द्वारा संचालित परीक्षा (परीक्षाओं) की संख्या, इस तथ्य को ध्यान में रखे बिना कि उसने ऐसी परीक्षा के लिए आवेदन किया है या उसमें उपस्थित हुआ है या नहीं। नियुक्ति की तिथि के बाद तीन मास के भीतर किए गए परीक्षा के प्रयास को दो प्रयासों के प्रयोजन के लिए अवगणित कर दिया जाएगा।

(2) कोई भी वार्षिक वेतनवृद्धि तब तक अनुज्ञेय नहीं होगी, जब तक सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त व्यक्ति परीक्षा के दोनों भाग अर्हक नहीं कर लेता।

अयोग्यताएं।

8. कोई भी व्यक्ति,–

(क) जिसने जीवित पति/पत्नी वाले व्यक्ति से विवाह कर लिया है या विवाह की संविदा कर ली है; या

(ख) जिसने पति/पत्नी के जीवित होते हुए, किसी अन्य व्यक्ति से विवाह कर लिया है या विवाह की संविदा कर ली है,

सेवा में किसी पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगाः

परन्तु यदि सरकार की संतुष्टि हो जाए कि ऐसे व्यक्ति तथा विवाह के दूसरे पक्ष पर लागू स्वीय विधि के अधीन ऐसा विवाह अनुज्ञेय है तथा ऐसा करने के अन्य आधार भी हैं, तो वह किसी भी व्यक्ति को इस नियम के लागू होने से छूट दे सकती है।

भर्ती का ढंग।

9. (1) सेवा में भर्ती निम्नलिखित ढंग से की जाएगी,–

(क) उप निदेशक की दशा में,–

(i) लेखा–परीक्षा अधिकारियों में से पदोन्नति द्वारा; अथवा

(ii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी अधिकारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा;

(ख) लेखा–परीक्षा अधिकारी की दशा में,–

(i) 50 प्रतिशित सहायक लेखा–परीक्षा अधिकारियों में से पदोन्नति द्वारा; तथा

(ii) 50 प्रतिशित सीधी भर्ती द्वारा; अथवा

(iii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी अधिकारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा;

(ग) अधीक्षक की दशा में,–

(i) उप–अधीक्षकों में से पदोन्नति द्वारा; अथवा

(ii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी अधिकारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा;

(घ) निजी सचिव की दशा में,–

(i) निजी सहायकों में से पदोन्नति द्वारा; अथवा

(ii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी अधिकारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा।

(2) सभी पदोन्नतियां जब तक अन्यथा उपबंधित न हो, ज्येष्ठता एवं योग्यता के आधार पर की जाएंगी तथा केवल ज्येष्ठता ही ऐसी पदोन्नतियों के लिए कोई अधिकार प्रदान नहीं करेगी।

परिवीक्षा।

10. (1) सेवा में किसी भी पद पर नियुक्त व्यक्ति, यदि वह सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किया गया हो, तो दो वर्ष की अवधि के लिए या उक्त नियमों में यथा विहित परीक्षा पास करने की अवधि तक, जो भी बाद में हो, और यदि अन्यथा नियुक्त किया गया हो, तो एक वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रहेगा (उपभोग किए गए अवकाश की अवधि को छोडकर, यदि कोई हो):

परन्तु–

(क) ऐसी नियुक्ति के बाद किसी अनुरूप या उच्चतर पद पर प्रतिनियुक्ति पर व्यतीत की गई कोई अवधि, परिवीक्षा की अवधि में गिनी जाएगी;

(ख) स्थानांतरण द्वारा किसी नियुक्ति की दशा में, सेवा में किसी पद पर नियुक्ति से पहले किसी समकक्ष अथवा उच्चतर पद पर किए गए कार्य की कोई अवधि नियुक्ति प्राधिकारी के विवेक पर इस नियम के अधीन नियत परिवीक्षा अवधि में गिनने की ओर अनुज्ञेय होगी; और

(ग) स्थानापन्न नियुक्ति की कोई अवधि परिवीक्षा पर व्यतीत की गई अवधि के रूप में गिनी जाएगी, किंतु इस प्रकार स्थानापन्न रूप में कार्य करने वाला कोई भी व्यक्ति परिवीक्षा की विहित अवधि के पूरा होने पर, यदि वह किसी नियमित रिक्ति पर नियुक्त न किया गया हो, तो पुष्ट किए जाने का हकदार नहीं होगा।

(2) यदि नियुक्ति प्राधिकारी की राय में परिवीक्षा की अवधि के दौरान किसी व्यक्ति का कार्य या आचरण संतोषजनक न रहा हो, तो वह,–

(क) यदि ऐसा व्यक्ति सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किया गया हो, तो उसे उसकी सेवाओं से अलग कर सकता है; और

(ख) यदि ऐसा व्यक्ति सीधी भर्ती से अन्यथा नियुक्त किया गया हो, तो–

(i) उसे उसके पूर्व पद पर प्रतिवर्तित कर सकता है; या

(ii) उसके संबंध में किसी ऐसी अन्य रीति में कार्यवाही कर सकता है जो उसकी पूर्व नियुक्ति के निबंधन तथा शर्तें अनुज्ञात करें।

(3) किसी व्यक्ति की परिवीक्षा अवधि पूरी होने पर, नियुक्ति प्राधिकारी,–

(क) यदि उसकी राय में, उसका कार्य या आचरण संतोषजनक रहा हो तो, ऐसे व्यक्ति को नियमित रिक्ति पर उसकी नियुक्ति की तिथि से पुष्ट कर सकता है;

(ख) यदि उसका कार्य या आचरण उसकी राय में संतोषजनक न रहा हो, तो–

(i) यदि वह सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किया गया हो, तो उसे उसकी सेवाओं से अलग कर सकता है, यदि अन्यथा नियुक्त किया गया हो, तो उसे उसके पूर्व पद पर प्रतिवर्तित कर सकता है या उसके संबंध में ऐसी अन्य रीति में कार्यवही कर सकता है जो उसकी पूर्व नियुक्ति के निबंधन तथा शर्तें अनुज्ञात करें; या

(ii) उसकी परिवीक्षा की अवधि बढ़ा सकता है और उसके बाद ऐसे आदेश पारित कर सकता है जो वह परिवीक्षा की प्रथम अवधि की समाप्ति पर कर सकता था :

परन्तु परिवीक्षा की कुल अवधि, जिसमें बढ़ाई गई अवधि, यदि कोई है, भी शामिल है, तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

हरियाणा राज्य लेखा– परीक्षा सेवा परीक्षा।

11. सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त और सीधी भर्ती से अन्यथा नियुक्त व्यक्तियों के लिए परीक्षा के संचालन हेतु पाठ्यक्रम तथा प्रक्रिया, ऐसी होगी जो समय–समय पर, सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए।

ज्येष्ठता।

12. सेवा के सदस्यों की परस्पर ज्येष्ठता सेवा में किसी भी पद पर उनके लगातार सेवाकाल के अनुसार निश्चित की जाएगीः

परन्तु जहां सेवा में विभिन्न संवर्ग हों, तो वहां ज्येष्ठता प्रत्येक संवर्ग के लिए अलग– अलग निश्चित की जाएगीः

परन्तु यह और की सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त सदस्यों की दशा में ज्येष्ठता नियत करते समय आयोग द्वारा निश्चित योग्यताक्रम भंग नहीं किया जाएगा :

परन्तु यह और कि एक ही तिथि को नियुक्त दो या दो से अधिक सदस्यों की दशा में, उनकी ज्येष्ठता निम्नलिखित रूप से निश्चित की जाएगी–

(क) सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त सदस्य पदोन्नति या स्थानांतरण द्वारा नियुक्त सदस्य से ज्येष्ठ होगा;

(ख) पदोन्नति द्वारा नियुक्त सदस्य स्थानांतरण द्वारा नियुक्त सदस्य से ज्येष्ठ होगा ;

(ग) पदोन्नति अथवा स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त सदस्यों की दशा में, उनकी ज्येष्ठता ऐसी नियुक्तियों में ऐसे सदस्यों की ज्येष्ठता के अनुसार निश्चित की जाएगी, जिनसे वे पदोन्नत या स्थानांतरण किए गए थे; और

(घ) विभिन्न संवर्गों से स्थानातंरण द्वारा नियुक्त सदस्यों की दशा में, उनकी ज्येष्ठता वेतन के अनुसार निश्चित की जाएगी, अधिमान ऐसे सदस्यों को दिया जाएगा जो अपनी पहले की नियुक्ति में उच्चतर दर पर वेतन ले रहा था और यदि मिलने वाले वेतन की दर भी समान हो, तो उनकी नियुक्तियों में उनके सेवाकाल के अनुसार और यदि सेवाकाल भी समान हो, तो आयु में बड़ा सदस्य छोटे सदस्य से ज्येष्ठ होगा।

सेवा करने का दायित्व।

13. (1) सेवा का कोई भी सदस्य, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा हरियाणा राज्य में या उसके बाहर किसी भी स्थान पर सेवा करने के लिए आदेश दिए जाने पर ऐसा करने के लिए दायी होगा।

(2) सेवा के सदस्यों को नियुक्ति प्राधिकारी या विभागाध्यक्ष, जो भी उच्चतर हो, द्वारा लोक हित में चण्डीगढ़ प्रशासन तथा भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड सहित हरियाणा सरकार के नियंत्रणाधीन किसी संगठन/विभाग में विदेश सेवा/प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरित किया जा सकता हैः

परन्तु कोई भी सरकारी कर्मचारी परिवीक्षा की अवधि के दौरान तथा अधिवर्षिता पर उसकी सेवानिवृत्ति से एक वर्ष पूर्व विदेश सेवा या प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरित नहीं किया जाएगा।

(3) किसी भी सरकारी कर्मचारी को उसकी इच्छा के विरूद्ध भारत सरकार या किसी अन्य राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन किसी संगठन/विभाग में या भारत के बाहर विदेश सेवा में या प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरित नहीं किया जाएगा।

(4) उपरोक्त उप–नियम (2) या (3) के अधीन किसी सरकारी कर्मचारी का स्थानान्तरण हरियाणा सिविल सेवा (सामान्य) नियम, 2016 में अधिकथित शर्तों के अधीन तथा किन्हीं निर्बन्धनों, जो सक्षम प्राधिकारी साधारण या विशेष आदेशों द्वारा अधिरोपित करना उचित समझें, के अध्यधीन स्वीकृत किया जाएगा।

टिप्पण 1.– किसी भी सरकारी कर्मचारी को विदेश सेवा या प्रतिनियुक्ति पर तब तक स्थानान्तरित नहीं किया जाएगा जब तक आदाता नियोक्ता उसे ऐसे विशेष सुविधाओं से कम प्रदान नहीं करने के लिए वचन नहीं देता है जो वह भोग रहा होता, यदि वह हरियाणा सरकार की सेवा में रहता।

टिप्पण 2.– सरकारी कर्मचारी का उसके मूल विभाग में धारणाधिकार अविकल रहेगा जैसा वह प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरित नहीं होने पर होता।

टिप्पण 3.– चण्डीगढ़ प्रशासन, भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड या हरियाणा सरकार के किसी अन्य विभाग में स्थानान्तरित सरकारी कर्मचारी प्रतिनियुक्ति पर होगा। तथापि, वह किसी प्रतिनियुक्ति भत्ते के लिए हकदार नहीं होगा तथा प्रतिनियुक्ति की अवधि के लिए परिभाषित अंशदायी पेंशन स्कीम के अधीन समरूप अंशदान को छोड़कर अवकाश वेतन तथा पेंशन अंशदान के भुगतान के लिए आदाता विभाग पर कोई भी दायित्व नहीं होगा।

14. वेतन, छुट्टी, पेंशन तथा सभी अन्य मामलों के संबंध में, जिनका इन नियमों में स्पष्ट रूप से उपबंध नहीं किया गया है, सेवा के सदस्य हरियाणा सिविल सेवा नियम तथा अन्य नियमों तथा विनियमों द्वारा शासित होंगे, जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा भारत के संविधान के अधीन या तत्समय लागू या राज्य विधानमंडल द्वारा बनाई गई किसी विधि के अधीन अपनाएं अथवा बनाए गए हों अथवा इसके बाद अपनाएं या बनाए जाएं। वेतन, छुट्टी, पेंशन तथा अन्य मामले।

15. (1) अनुशासन, शास्तियाँ तथा अपीलों से संबंधित मामलों में, सेवा के सदस्य, समय–समय पर, यथा संशोधित हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील) नियम, 2016 द्वारा शासित होंगे : अनुशासन, शास्तियाँ तथा अपीलें।

परन्तु ऐसी शास्तियों का स्वरूप, जो लगाई जा सकती है, ऐसी शास्तियाँ लगाने के लिए सशक्त प्राधिकारी तथा अपील प्राधिकारी, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अधीन बनाई गई किसी विधि या नियमों के उपबंधों के अधीन रहते हुए वे होंगे, जो इन नियमों के परिशिष्ट ग में विनिर्दिष्ट हैं।

(2) हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील) नियम, 2016 के नियम 9 के खण्ड (ग) या खण्ड (घ) या खण्ड (च) के अधीन आदेश पारित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी तथा अपील प्राधिकारी भी वह होगा, जो इन नियमों के परिशिष्ट घ में यथा विनिर्दिष्ट है।

16. सेवा का प्रत्येक सदस्य, स्वयं को टीका लगवाएगा तथा जब सरकार किसी विशेष या साधारण आदेश द्वारा, ऐसा निर्देश करे, पुनः टीका लगवाएगा। टीका लगवाना।

17. सेवा के प्रत्येक सदस्य से, जब तक उसने पहले ही भारत के प्रति तथा विधि द्वारा यथा स्थापित भारत के संविधान के प्रति राजनिष्ठा की शपथ न ले ली हो, ऐसा करने की अपेक्षा की जाएगी। राजनिष्ठा की शपथ।

18. जहां सरकार की राय में, इन नियमों के किसी उपबंध में ढील देना आवश्यक या समीचीन हो, वहां वह कारण लिखकर आदेश द्वारा व्यक्तियों के किसी वर्ग या प्रवर्ग के बारे में ऐसा कर सकती है। ढील देने की शक्ति।

19. इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी, नियुक्ति प्राधिकारी, यदि वह नियुक्ति आदेश में विशेष निबंधन तथा शर्तें लगाना उचित समझे, तो वह ऐसा कर सकता है। विशेष उपबंध।

20. इन नियमों में दी कोई भी बात, भारत के संविधान के अनुच्छेद 16 के खण्ड (4) के अधीन राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में, समय–समय पर, जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों,शारीरिक रूप से दिव्यांग व्यक्तियों या व्यक्तियों के किसी अन्य वर्ग या प्रवर्ग को दिए जाने के लिए अपेक्षित आरक्षणों तथा अन्य रियायतों को प्रभावित नहीं करेगी। आरक्षण।

परिशिष्ट क

(देखिए नियम 3)

क्रम संख्या	पदनाम	पदों की संख्या	वेतनमान
1	2	3	4
1	उप निदेशक	04	**एफ0पी0एल0 – 11, सेल–1= 67700/– रूपए**
2.	लेखा परीक्षा अधिकारी	100	**एफ0पी0एल0 –9, सेल–1= 53100/– रूपए**
3.	अधीक्षक	02	**एफ0पी0एल0 –7, सेल–1= 44900/– रूपए**
4.	निजी सचिव	01	**एफ0पी0एल0 –6, सेल–1= 35400/– रूपए**

परिशिष्ट ख

(देखिए नियम 7)

क्रम संख्या	पदनाम	सीधी भर्ती के लिए शैक्षणिक योग्यताएं तथा अनुभव, यदि कोई हो	सीधी भर्ती से अन्यथा नियुक्ति के लिए शैक्षणिक योग्यताएं तथा अनुभव, यदि कोई हो
1	2	3	4
1.	उप निदेशक	..	**पदोन्नति द्वारा–** नियमित पद पर नियुक्ति के बाद लेखा– परीक्षा अधिकारी के रूप में तीन वर्ष का अनुभव; **स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा–** (i) उप–निदेशक के रूप में या इसके समकक्ष पद पर एक वर्ष का अनुभव; (ii) हरियाणा राज्य लेखा–परीक्षा सेवा परीक्षा उत्तीर्ण की हो; या हरियाणा राज्य लेखा सेवा परीक्षा उत्तीर्ण की हो; तथा (iii) मैट्रिक में एक विषय के रूप में हिन्दी या संस्कृत या उच्चतर शिक्षा में एक विषय के रूप में हिन्दी।
2.	लेखा–परीक्षा अधिकारी	(i) (क). किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से (प्रथम श्रेणी में) एम. काम या (प्रथम श्रेणी में) एम.बी.ए (वित्त); तथा (ख). किसी विख्यात संगठन में लेखा परीक्षा या लेखों का तीन वर्ष का अनुभव; अथवा (ii) (क). भारतीय चार्टर्ड लेखाकार संस्थान से चार्टर्ड लेखाकार; या भारतीय लागत तथा संकर्म लेखाकार संस्थान से लागत लेखाकार; तथा (ख) किसी विख्यात संगठन में लेखा–परीक्षा या लेखों का दो वर्ष का अनुभव; या (iii) (क) भारतीय कम्पनी सचिव संस्था से कम्पनी सचिव; तथा (ख). किसी विख्यात संगठन में कम्पनी सचिव के रूप में दो वर्ष का अनुभव; तथा	**पदोन्नति द्वारा–** (i) नियमित पद पर नियुक्ति के बाद सहायक लेखा–परीक्षा अधिकारी के रूप में तीन वर्ष का अनुभव; तथा (ii) हरियाणा राज्य लेखा परीक्षा सेवा परीक्षा उत्तीर्ण की हो; **स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा–** (i) लेखा–परीक्षा अधिकारी के रूप में या इसके समकक्ष पद पर एक वर्ष का अनुभव; (ii) हरियाणा राज्य लेखा–परीक्षा सेवा परीक्षा उत्तीर्ण की हो; या हरियाणा राज्य लेखा सेवा परीक्षा उत्तीर्ण की हो; तथा (iii) मैट्रिक में एक विषय के रूप में हिन्दी या संस्कृत अथवा उच्चतर शिक्षा में एक विषय के रूप में हिन्दी।

		(iv) मैट्रिक में एक विषय के रूप में हिन्दी या संस्कृत अथवा उच्चतर शिक्षा में एक विषय के रूप में हिन्दी।	
3.	अधीक्षक	.	**पदोन्नति द्वारा–** नियमित पद पर नियुक्ति के बाद उप–अधीक्षक के रूप में दो वर्ष का अनुभव; या उप–अधीक्षक और सहायक के रूप में दस वर्ष का संयुक्त अनुभव; **स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा–** (i) अधीक्षक के रूप में या इसके समकक्ष पद पर एक वर्ष का अनुभव; तथा (ii) मैट्रिक में एक विषय के रूप में हिन्दी या संस्कृत अथवा उच्चतर शिक्षा में एक विषय के रूप में हिन्दी।
4.	निजी सचिव	––	**पदोन्नति द्वारा–** नियमित पद पर नियुक्ति के बाद निजी सहायक के रूप में पांच वर्ष का अनुभव; **स्थानन्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा–** (i) निजी सचिव के रूप में या इसके समकक्ष पद पर एक वर्ष का अनुभव तथा (ii) मैट्रिक में एक विषय के रूप में हिन्दी या संस्कृत अथवा उच्चतर शिक्षा में एक विषय के रूप में हिन्दी।

परिशिष्ट ग

{देखिए नियम 15(1)}

क्रम संख्या	पदनाम	नियुक्ति प्राधिकारी	शास्ति का स्वरूप	शास्ति लगाने के लिए सशक्त प्राधिकारी	अपील अधीकारी
1	2	3	4	5	6
1.	उप निदेशक	सरकार	(i) **छोटी शास्तियाँ–** हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील) नियम, 2016 में यथा विहित;	प्रशासकीय सचिव	सरकार
2.	लेखा–परीक्षा अधिकारी		(ii) **बड़ी शास्तियाँ–** हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील) नियम, 2016 में यथा विहित।	सरकार	–
3.	अधीक्षक				
4.	निजी सचिव				

परिशिष्ट घ

{देखिए नियम 15(2)}

क्रम संख्या	पदनाम	शास्ति का स्वरूप	शास्ति लगाने के लिए सशक्त प्राधिकारी
1	2	3	4
1.	उप निदेशक	(i) पेंशन को शासित करने वाले नियमों के अधीन अनुज्ञेय पेंशन की राशि में कमी करना या रोकना ; (ii) सेवा की समाप्ति; (iii) सेवा के सदस्य की अधिवर्षिता की आयु पूरी होने से पूर्व लोक हित में समयपूर्व सेवा सेवानिवृत्ति।	सरकार
2.	लेखा परीक्षा अधिकारी		
3.	अधीक्षक		
4.	निजी सचिव		

अनुराग रस्तोगी,
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
वित्त विभाग।

HARYANA GOVERNMENT

FINANCE DEPARTMENT

Notification

The 23rd December, 2025

No. G.S.R.18/Const./Art.309/2025.─ In exercise of the powers conferred under the proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor of Haryana hereby makes the following rules regulating the recruitment and conditions of service of persons appointed to Group B posts in the Directorate of State Audit Haryana, namely:-

PART-I─ General

Short title and commencement.

1. (1) These rules may be called the Directorate of State Audit Haryana (Group B) Service Rules, 2025.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

Definitions.

2. In these rules, unless the context otherwise requires,-

(a) "Administrative Secretary" means the Additional Chief Secretary or Principal Secretary to Government, Haryana, Finance Department, as the case may be;

(b) "Commission" means the Haryana Public Service Commission;

(c) "direct recruitment" means an appointment made otherwise than by promotion from within the Service or by transfer of an officer already in the Service of the Government of India or any State Government;

(d) "examination" means Haryana State Audit Services Examination Part-I and II conducted by the Government or any other agency authorized by the Government for this purpose, in accordance with such regulations, as may be notified by the Government from time to time;

(e) "Government" means the Government of the State of Haryana in the administrative department;

(f) "institution" means-

(i) any institution established by the law in force in the State of Haryana; or

(ii) any other institution recognized by the Government for the purpose of these rules;

(g) "organization" means and includes all Departments of Haryana Government, Statutory Bodies. It also includes Universities, Boards, Corporations, Federations, Authorities wholly owned and controlled by the State Government;

(h) "reputed organization" for the purpose of experience means an organization under any State Government or Government of India and includes the Private Organization registered under the Companies Act, 2013 (Central Act 18 of 2013) having turnover of at least seventy-five Crore rupees for one year;

(i) "recognized university" means-

(a) any university established by law in India; or

(b) any other university which is declared by the Government to be a recognized university for the purpose of these rules;

(j) "Service" means the Directorate of State Audit Haryana (Group B) Service.

PART II- RECRUITMENT TO SERVICE

Number and character of posts.

3. The Service shall comprise the posts shown in Appendix A to these rules:

Provided that nothing in these rules shall affect the inherent right of Government to make additions to, or reduction in, the number of such posts or to create new posts with different designations and scales of pay.

Nationality, domicile and character of candidates appointed to service.

4. (1) No person shall be appointed to any post in the Service, unless he is-

(a) a citizen of India; or

(b) a subject of Nepal; or

(c) a subject of Bhutan:

Provided that a person belonging to any of the categories (b) or (c) shall be a person in whose favor a certificate of eligibility has been issued by the Government; or

(2) A person in whose case a certificate of eligibility is necessary may be admitted to an examination or interview conducted by the Commission or any other recruiting agency but the offer of appointment shall be given only after the necessary eligibility certificate has been issued to him by the Government.

(3) No person shall be appointed to any post in the Service by direct recruitment, unless he produces a certificate of character from the Principal Academic Officer of the university, college, school or institution last attended, if any, and similar certificate from two other responsible persons, not being his relatives, who are well acquainted with him in his private life and are unconnected with his university, college, school or institution.

Age.

5. No person shall be appointed to any post in the Service by direct recruitment who is less than eighteen years or more than forty-two years of age on the last date of submission of application to the Commission or any other recruiting agency.

Appointing authority.

6. Appointment to the posts in the Service shall be made by the Government.

Qualifications and experience.

7. (1) No person shall be appointed to any post in the Service, unless he is in possession of qualifications and experience specified in column 3 of Appendix B to these rules in case of direct recruitment and those specified in column 4 of the aforesaid Appendix in the case of person appointed other than by direct recruitment:

Provided that in the case of appointment by direct recruitment, the qualifications regarding experience shall be relaxable to the extent of fifty percent at the discretion of the Commission or any recruiting agency in case sufficient number of candidates belonging to Scheduled Castes, Backward Classes, Ex-serviceman and Physical Handicapped categories, possessing the requisite experience are not available to fill up the vacancies reserved for them, after recording reasons for so doing in writing:

Provided further that a person recruited to the Service by direct appointment who fails to pass—

(i) the examination of Part-I in two attempts; and

(ii) the examination of Part-II in two attempts,

his services shall be dispensed with. No further attempt to appear in the examination of any part shall be allowed:

Provided further that if an employee fails to appear in the examination due to the circumstances beyond his control, the Administrative Secretary, at his discretion, may grant one extra attempt on compassionate ground.

Explanation.— Two attempts means the number of examination(s) conducted by Government/ agency after three months from the date of appointment of the concerned person irrespective of the fact that he has applied for or appeared in such examination or not. An attempt of examination taken within three months after the date of appointment shall be ignored for the purpose of two attempts.

(2) No annual increment shall be admissible until a person appointed by direct recruitment qualifies both the parts of examination.

Disqualifications.

8. No person-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to any post in the Service:

Provided that the Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for doing so exempt any person from the operation of this rule.

Method of recruitment.

9. (1) Recruitment to the Service shall be made-

(a) in the case of Deputy Director—

(i) by promotion from amongst the Audit Officers; or

(ii) by transfer or deputation of an officer already in the service of any State Government or the Government of India.

(b) in the case of Audit Officer—

(i) 50% by promotion from amongst the Assistant Audit Officers; and

(ii) 50% by direct recruitment;

(iii) by transfer or deputation of an officer already in the service of any State Government or the Government of India.

(c) in the case of Superintendent-

(i) by promotion from amongst the Deputy Superintendent ;

(ii) by transfer or deputation of an officer already in the service of any State Government or the Government of India.

(d) in the case of Private Secretary-

(i) by promotion from amongst Personal Assistants; or

(ii) by transfer or deputation of an officer already in the service of any State Government or the Government of India.

(2) All promotions, unless otherwise provided shall be made on the basis of seniority-cum-merit and seniority alone shall not confer any right to such promotions.

Probation.

10. (1) Persons appointed to any post in the Service shall remain on probation, for a period of two years or up to the period of passing the examination as provided in these rules, whichever is later ,if appointed by direct recruitment and one year, if appointed otherwise (excluding the period of leave availed, if any):

Provided that—

(a) any period, after such appointment, spent on deputation on a corresponding or a higher post shall count towards the period of probation;

(b) any period of work in equivalent or higher rank, prior to appointment to any post in the Service, may in the case of an appointment by transfer, at the discretion of the appointing authority, be allowed to count towards the period of probation fixed under this rule; and

(c) any period of officiating appointment shall be reckoned as period spent on probation, but no person who has so officiated shall, on the completion of the prescribed period of probation, be entitled to be confirmed, unless he is appointed against a regular post.

(2) if, in the opinion of the appointing authority, the work or conduct of a person during the period of probation is not satisfactory, it may-

(a) if such person is appointed by direct recruitment, dispense with his services; and

(b) if such person is appointed otherwise than by direct recruitment—

(i) revert him to his former post; or

(ii) deal with him in such other manner, as the terms and conditions of the previous appointment permit.

(3) On the completion of the period of probation of a person, the appointing authority, may—

(a) if his work or conduct has, in its opinion, been satisfactory, confirm such person from the date of his appointment, if appointed against a regular post;

(b) if his work or conduct has, in its opinion, been not satisfactory—

(i) dispense with his service, if appointed by direct recruitment and if appointed otherwise, revert him to his former post or deal with him in such other manner, as the terms and conditions of previous appointment permit; or

(ii) extend his period of probation and thereafter pass such order, as it could have passed on the expiry of the first period of probation:

Provided that the total period of probation including extension, if any, shall not exceed three years.

Haryana State Audit Service Examination

11. The syllabus and procedure for conduct of Examination for the persons appointed by direct recruitment and appointed otherwise than by direct recruitment shall be such, as specified by the Government from time to time.

Seniority.

12. Seniority, inter-se of the members of the Service shall be determined by the length of continuous service on any post in the Service:

Provided that where there are different cadres in the Service, the seniority shall be determined separately for each cadre:

Provided further that in case of members appointed by direct recruitment, the order of merit determined by the Commission shall not be disturbed in fixing the seniority:

Provided further that in case of two or more members appointed on the same date, their seniority shall be determined as follows:-

(a) a member appointed by direct recruitment shall be senior to a member appointed by promotion or by transfer;

(b) a member appointed by promotion shall be senior to a member appointed by transfer;

(c) in case of members appointed by promotion or by transfer, seniority shall be determined according to the seniority of such members in the appointments from which they were promoted or transferred; and

(d) in case of members appointed by transfer from different cadres, their seniority shall be determined according to pay, preference being given to a member, who was drawing a higher rate of pay in his previous appointment; and if the rates of pay drawn are also the same, then by the length of their service in the appointment, and if the length of such service is also the same, the older member shall be senior to the younger member.

Liability to serve.

13. (1) A member of the Service shall be liable to serve at any place whether within or outside the State of Haryana, on being ordered to do so by the appointing authority.

(2) A member of the Service may, in public interest, be transferred by the appointing authority or Head of Department, whichever is higher, to foreign service or on deputation to any organization/Department under the control of Haryana Government including Chandigarh Administration and Bhakra Beas Management Board:

Provided that no member of Service shall be transferred on deputation during the period of probation and one year before his retirement on superannuation.

(3) No member of the Service shall be transferred to foreign service or on deputation against his will in any organization/department under the control of Government of India or any other State Government or out of India.

(4) Transfer of a member of Service under sub-rule (2) or (3) above shall be sanctioned by the competent authority subject to the conditions laid down in the Haryana Civil Services (General) Rules, 2016 and any restrictions which it may deem fit to impose by general or special orders.

Note 1.- No member of Service shall be transferred to foreign service on deputation unless the borrowing employer undertakes to afford him the privileges not inferior to those which he would have enjoyed, had he remained in the service of the Government of Haryana.

Note 2.- The lien of member of Service in this Department shall remain intact had he not been transferred to foreign service or on deputation.

Note 3.- A member of Service transferred to Chandigarh Administration, Bhakra Beas Management Board or any other Department of Haryana Government shall be on deputation. However, he shall not be entitled to any deputation allowance and there shall be no liability on the borrowing Department for payment of leave salary and pension contribution, except matching contribution under Defined Contributory Pension Scheme, for the period of deputation.

Pay, leave, pension and other matters.

14. In respect of pay, leave, pension and all other matters not expressly provided for in these rules, the members of the Service shall be governed by Haryana Civil Services Rules and other rules and regulations as may have been or may be adopted by the competent authority under the Constitution of India or under any law for the time being in force or made by the State Legislature.

Discipline, penalties and appeals.

15. (1) In matters relating to discipline, penalties and appeals, members of the Service shall be governed by the Haryana Civil Services (Punishment and Appeal) Rules, 2016, as amended from time to time:

Provided that the nature of penalties, which may be imposed, the authority empowered to impose such penalties and appellate authority shall, subject to the provisions of any law or rules made under article 309 of the Constitution of India be such as are specified in Appendix C to these rules.

(2) The authority competent to pass an order under clause (c) or clause (d) or clause (f) of Rule 9 of the Haryana Civil Services (Punishment and Appeal) Rules, 2016, and appellate authority shall also be as specified in Appendix D to these rules.

Vaccination.

16. Every member of the Service shall get himself vaccinated or revaccinated as and when the Government so directs by a special or general order.

Oath of allegiance.

17. Every member of the Service, unless he has already done so, shall be required to take the oath of allegiance to India and to the Constitution of India, as by law established.

Power of relaxation.

18. Where the Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

Special provisions.

19. Notwithstanding anything contained in these rules, the appointing authority may impose special terms and conditions in the order of appointment if it is deemed expedient to do so.

Reservations.

20. Nothing contained in these rules shall affect reservations and other concessions required to be provided for Scheduled Castes, Backward Classes, Ex-Servicemen, Physically handicapped persons or any other class or category of persons under clause (4) of article 16 of the Constitution of India and in accordance with the orders issued by the State Government in this regard, from time to time.

APPENDIX A
(see rule 3)

Serial number	Designation of post	Number of posts	Scale of Pay
1	2	3	4
1	Deputy Director	4	FPL-11, Cell 1= Rs. 67700/-
2	Audit Officer	100	FPL-9, Cell 1= Rs. 53100/-
3	Superintendent	2	FPL-7, Cell 1= Rs. 44900/-
4	Private Secretary	1	FPL-6, Cell 1= Rs. 35400/-

APPENDIX B
(see rule7)

Serial number	Designation of post	Academic qualifications and experience, if any, for direct recruitment	Academic qualifications and experience, if any, for appointment other than by direct recruitment
1	2	3	4
1	Deputy Director	--	By Promotion- Three years experience as Audit Officer after appointment on regular post; By transfer or deputation- (i) one year experience as Deputy Director or its equivalent post; (ii) has qualified Haryana State Audit Service Examination; or has qualified Haryana State Account Service Examination; and (iii) Hindi or Sanskrit as one of the subject in Matric or Hindi as one of the subject in Higher Education.
2	Audit Officer	(i) (a) M.Com. (1st Division) or MBA (Finance) (1st Division) from any recognized University; and (b) Three years' experience of Audit or Accounts in a reputed organization; or (ii) (a) Chartered Accountant from the Institute of Chartered Accountants of India; or Cost Accountant from the Institute of Cost Accountants of India; and (b)Two years experience of Audit or Accounts in a reputed organization; or (iii) (a) Company Secretary from Institute of Company Secretaries of India; and (b) Two years' experience as Company Secretary in reputed organization; and (iv) Hindi or Sanskrit as one of the subject in Matric or Hindi as one of the subject in Higher Education.	By Promotion- (i) Three years experience as Assistant Audit Officer after appointment on regular post; and (ii) has qualified the Haryana State Audit Service Examination. By transfer or deputation- (i) one year experience as Audit Officer or its equivalent post; (ii) has qualified Haryana State Audit Service Examination; or has qualified Haryana State Account Service Examination; and (ii) Hindi or Sanskrit as one of the subject in Matric or Hindi as one of the subject in Higher Education.
3	Superintendent		By Promotion- Two years experience as Deputy Superintendent after appointment on regular post; or Ten years combined experience as Deputy Superintendent and Assistant; By Transfer or deputation- (i) One year experience as Superintendent or its equivalent post; and

			(ii) Hindi or Sanskrit as one of the subject in Matric or Hindi as one of the subject in Higher Education.
4	Private Secretary		By Promotion- Five years experience as Personal Assistant after appointment on regular post. By transfer or deputation- (i) One year experience as Private Secretary or its equivalent post; and (ii) Hindi or Sanskrit as one of the subject in Matric or Hindi as one of the subject in Higher Education.

	APPENDIX C *{see rule 15 (1)}*				
Serial number	Designation of post	Appointing authority	Nature of penalty	Authority empowered to impose penalty	Appellate authority
1	2	3	4	5	6
1 2 3 4	Deputy Director Audit Officer Superintendent Private Secretary	Government	(i) Minor Penalties- As prescribed in the Haryana Civil Services (Punishment and Appeal) Rules 2016.	Administrative Secretary	Government
			(ii) Major Penalties- As prescribed in the Haryana Civil Services (Punishment and Appeal) Rules 2016.	Government	---

APPENDIX- D

{See rule 15 (2)}

Serial number	Designation of post	Nature of penalty	Authority empowered to impose penalty
1	2	3	4
1	Deputy Director	(i) Reducing or with-holding the amount of pension admissible under the rules, governing pension; (ii) Termination of service. (iii) Premature retirement from service in public interest before attaining the age of superannuation.	Government
2	Audit Officer		
3	Superintendent		
4	Private Secretary		

ANURAG RASTOGI,
Additional Chief Secretary to Government, Haryana,
Finance Department.

12240—C.S.—H.G.P., Pkl.